

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा.आ.बैंक के चेन्नई कार्यालय में
टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु एजेंसी की नियुक्ति के लिए

गोपनीय

आरएफपी संदर्भ संख्या: -सीआरओ/सीआरओ/डाक/2024/00003 दिनांकित 04-07-2024

प्रस्ताव हेतु अनुरोध(आरएफपी): रा.आ.बैंक के चेन्नई कार्यालय में
टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु एजेंसी की नियुक्ति के लिए

चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
नंबर 716ए, 7वीं मंजिल, फेस-
II कार्यालय लॉबी, स्पेंसर
प्लाजा, 769 अन्ना सलाई,
चेन्नई - 02
ई-मेल: rochn@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	04-07-2024
2.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	1300 बजे: 12-07-2024
3.	वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि और समय	1500 बजे: 15-07-2024
4.	बयाना जमा राशि	शून्य
5.	बोली खोलने का स्थान	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, नंबर 716ए, 7वीं मंजिल, फेस-II कार्यालय लॉबी, स्पेंसर प्लाजा नंबर, 769 अन्ना सलाई, चेन्नई - 02

नोट: -

- बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपर्युक्त के अनुसार भाग लेने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से जमा किए गए सभी डेटा/जानकारी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, जयपुर और भुवनेश्वर में स्थित हैं।

3. कार्य क्षेत्र:

राष्ट्रीय आवास बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालय (आरआरओ), चेन्नई के लिए मासिक किराये के आधार पर वातानुकूलित (एसी) वाहनों को किराए पर लेना चाहता है। इस संबंध में, बैंक के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रारंभिक 1 वर्ष की अवधि के लिए वाहन की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसे बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के अधीन प्रत्येक दो वर्ष अर्थात् अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

जिन कारों का मॉडल प्रदान करने की आवश्यकता है, वे निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	वाहन का प्रकार/मॉडल	आवश्यक वाहन की संख्या	आवश्यकता विवरण
1.	प्रीमियम सेडान (मारुति सियाज़/होंडा सिटी/समकक्ष)	01	कार की आवश्यकता ईंधन और चालक सहित मासिक आधार पर है।

कार्य क्षेत्र का विस्तृत रूप संलग्न है।

4. अनुबंध की अवधि:

इस संबंध में, बैंक के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रारंभिक 1 वर्ष की अवधि के लिए वाहन की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसे बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के अधीन दो वर्ष अर्थात् अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5. बोलीदाताओं को निर्देश

5.1 सामान्य: -

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करता है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम	पवित्रा एस	अंकिता शर्मा
पदनाम	सहायक प्रबंधक	उप प्रबंधक
ईमेल आईडी	pavithra.s@nhb.org.in	ankita.sharma@nhb.org.in
फोन नंबर	+91-9787409226	+91-8870887779

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- **बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि.बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।**
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

5.2 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

5.3 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.4 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन की सूचना संबंधित सूचीबद्ध बोलीदाता को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.5 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

5.6 बोली में शामिल दस्तावेज (यदि कोई हो, कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें)

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

5.7 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में उद्धृत की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.8 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- सफल बोलीदाता(ओं) को विक्रेता/एजेंसी के रूप में बुलाया जाएगा, उन्हें निविदा दिए जाने के 7 दिनों के भीतर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर बैंक के साथ एक सेवा स्तर समझौता (एसएलए) करना होगा।

- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा को भी बढ़ाया जाएगा।

5.9 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

आरएफपी के खंड 5.6 में उल्लिखित अनुसार विधिवत भरे हुए अनुलग्नकों के साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की जानी है।

मूल बोलियों को अमिट स्याही से टंकित या लिखा जाएगा एवं बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले को अनुबंध से जोड़ने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

5.10 बोलियों की मुद्रण एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफों को नीचे दिए गए पते पर रा.आ.बैंक को भेजे जायेंगे:

प्रभारी अधिकारी

चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
नंबर 716ए, 7वीं मंजिल, फेस- II
कार्यालय लॉबी स्पेंसर प्लाजा, 769
अन्ना सलाई, चेन्नई - 02

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ई-मेल पते के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता खंड 5.6 में उल्लिखित विधिवत भरे हुए अनुबंधों के साथ वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को सील करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और अलग से “रा.आ.बैंक के चेन्नई कार्यालय में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु एजेंसी की नियुक्ति के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव” जैसा लागू हो, लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उपाश्रय के बिना अस्वीकृत

कर दिया हो जाएगी।

5.11 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

5.12 देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

5.13 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

5.14 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.15 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेकाधार पर, बोली में किसी भी छोटी-मोटी कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है, जिससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं होता हो, बशर्ते कि ऐसी छूट किसी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग पर

प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है या प्रभावित नहीं करती है।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

5.16 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

5.17 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

5.18 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक IV** में उपलब्ध संरचना के अनुसार कीमतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत आधार पर होगा।
- सांविधिक संशोधन के अनुसार केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।

5.19 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के पास चेन्नई में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

5.20 बोली मूल्यांकन

परियोजना के लिए सबसे कम लागत वाली बोली वाली बोली (**कुल लागत Z: अनुलग्नक IV**) का चयन किया जाएगा।

5.21 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5.22 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अतिरिक्त तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

5.23 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली हेतु अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

5.24 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

5.25 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा.आ.बैंक के चेन्नई कार्यालय में
टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु एजेंसी की नियुक्ति के लिए

गोपनीय

अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.26 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

5.27 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

5.28 विधियों का अनुपालन

- (क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- (ख) सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत प्राप्त एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने हेतु अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- (ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.29 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो बैंक उचित समझी जाने वाली कार्यवाही कर सकता है।
- ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

6. बोलियां (वाणिज्यिक) एवं बोली मूल्यांकन पद्धति

क. केवल भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक), चेन्नई /भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), चेन्नई द्वारा सूचीबद्ध या नियुक्त विक्रेता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं और किसी अन्य बोली लगाने वाला से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, रा.आ.बैंक की संतुष्टि के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है।

7. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना/समनुदेशन की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

7.1 कीमत

- क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ख) वाणिज्यिक बोली के अनुसार कीमत में शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा सहित सभी कर (जीएसटी छोड़कर) शामिल होने चाहिए।
- ग) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.2 भुगतान की शर्तें

राष्ट्रीय आवास बैंक पर विक्रेता/एजेंसी द्वारा उठाए जाने वाले मासिक बिल और इस विषय पर आयकर अधिनियम/नियमों के प्रावधान के अनुसार लागू करों की कटौती के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

भुगतान की शर्तें:-

1. भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत और क्रेता द्वारा स्वीकार किए गए वित्तीय उद्धरण के अनुसार किया जाएगा।
 2. सेवा प्रदाता को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
 3. उद्धृत मूल्य में सेवा वितरण के सभी पहलू शामिल होंगे।
- फिर भी, टोल शुल्क, पार्किंग शुल्क या प्रवेश करों के संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए गए किसी भी शुल्क की भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

भुगतान चक्र:-

1. सेवा प्रदाता निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार चालान जमा करने के बाद भुगतान किया जाएगा।
2. क्रेता चालान जमा करने पर भुगतान प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करेगा।

भुगतान प्रक्रिया:-

1. भुगतान चालान जमा करने के बाद ही किया जाएगा, इसे जमा न करने से भुगतान में देरी/कटौती हो सकती है।
2. सभी कटौतियों/जुर्माना/ब्याज (यदि लागू हो) का भुगतान करने से पहले निपटान किया जाएगा। सेवा प्रदाता को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. भुगतान केवल बैंक स्थानांतरण/ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में नकद/चेक भुगतान नहीं किया जाएगा।

7.3 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद सेवाओं के लिए भुगतान एसएलए के अनुसार संयुक्त माप करने के बाद वास्तुकार के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा, जिस अवधि हेतु सेवाएं प्रदान की गई हैं।

8. सामान्य नियम एवं शर्तें

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.12 जुर्माना

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.13 कार्य आदेश/ पुरस्कार पत्र की स्वीकृति

रा.आ.बैंक दो प्रतियों में कार्य आदेश/पुरस्कार का पत्र जारी करके सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को स्वीकृति के प्रमाण में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए एवं हस्ताक्षर किए गए कार्य आदेश/पुरस्कार आदेश के पत्र की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर डुप्लीकेट कॉपी रा.आ.बैंक को वापस करनी होगी। हालांकि, रा.आ.बैंक को कार्य आदेश/पुरस्कार के पत्र को रद्द करने का अधिकार है, अगर उसे निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है।

8.14 कर

प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित सांविधिक दरों के अनुसार रा.आ.बैंक द्वारा वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। लागू होने वाले अन्य सभी कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। रा.आ.बैंक सफल बोलीदाता को किए गए भुगतानों के संबंध में प्रभावी विधियों/नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसी कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

8.15 अनुबंध दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग

बोलीदाता/सफल बोलीकर्ता, एनएचबी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोली दस्तावेज में रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्यों को छोड़कर।

8.16 कार्यभार

बोलीदाता/सफल बोलीदाता, रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा या आंशिक रूप से सौंपे/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

8.17 पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा समझौता

रा.आ.बैंक और बोलीदाता के बीच एक "पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौता" पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह रा.आ.बैंक और बोलीदाताओं के बीच एक बाध्यकारी करार है। इस करार के तहत, बोलीदाता विनिर्दिष्ट तरीके से समनुदेशन पूरा करने हेतु रा.आ.बैंक से सहमत हैं। पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा के समझौते का प्रारूप **अनुलग्नक- VII** के अनुसार होगा।

इस संबंध में, रा.आ.बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से श्री लव वर्मा और श्री हरे कृष्ण दास को सत्यनिष्ठा संधि के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है।

सत्यनिष्ठा संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या उपक्रमों के बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन हेतु प्रतिबंधों का निम्नलिखित सेट लागू किया जाएगा:

- (i) अनुबंधों का अस्वीकरण या नुकसान;
- (ii) प्रमुख और प्रतिस्पर्धी बोलीदाता को होने वाली क्षति के लिए देयता; और
- (iii) उचित समय के लिए रा.आ.बैंक द्वारा उल्लंघनकर्ता का बहिष्कार।

बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि पूरी कंपनी में आचार संहिता के कार्यान्वयन हेतु रिश्तत और अन्य अनैतिक व्यवहार अनुपालन कार्यक्रम के उपयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए कंपनी आचार संहिता होनी चाहिए।

8.18 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ((डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को अनुलग्नक IX में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

8.18.1 “बोलीदाता” (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

8.18.2 “इस आदेश के उद्देश्य हेतु “भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता” का अर्थ:

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या

- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
- (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- (v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

8.18.3 उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी एवं कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की

श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

8.18.4 एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

9. अनुबंध की समाप्ति

अनुबंध की अवधि पूरी होने पर या निम्नलिखित कारणों से समाप्त कर दिया जाएगा:

1. पारस्परिक सहमति: सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। आपसी सहमति के आधार पर समाप्ति पर कोई कटौती नहीं होगी या नोटिस अवधि सहित समाप्ति के समय तक उठाए गए चालान के भुगतान के अलावा किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
2. संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन: अनुबंध के उल्लंघन के रूप में मानी जाने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप सेवाओं की तत्काल समाप्ति हो जाएगी। क्रेता को सेवा प्रदाता को लिखित सूचना देकर अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार होगा, यदि सेवा प्रदाता इस अनुबंध के भौतिक प्रावधान का उल्लंघन करता है जहां वह उल्लंघन उपाय करने में सक्षम नहीं है; या यदि सेवा प्रदाता इस अनुबंध के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है और ऐसा करने के लिए आवश्यक नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के भीतर उल्लंघन को दूर करने में विफल रहता है।
 - एसएलए का उल्लंघन: अनुबंध को भी समाप्त किया जा सकता है यदि:-i) संचयी कटौती अनुबंध मूल्य के 10% तक बढ़ जाती है; ii) खरीदार के विवेक के अनुसार 3 उदाहरणों से अधिक किसी भी एसएलए का बार-बार उल्लंघन। हालांकि, इस अनुबंध की समाप्ति से किसी भी पक्ष के किसी भी उपार्जित अधिकार या उपचार प्रभावित नहीं होंगे।

नोट:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र के तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा.आ.बैंक के चेन्नई कार्यालय में
टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु एजेंसी की नियुक्ति के लिए

गोपनीय

बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

कार्य क्षेत्र

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

अनुलग्नक

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।**

XXXXXX समाप्त XXXXXX